



उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालय: 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्रांक : 300 / 2042-0000 / 16 दिनांक : 04 / 05 / 2016

सेवा में

मुख्य अभियन्ता(क्षेत्रीय)

उ०प्र० जल निगम।

झांसी/इलाहाबाद/कानपुर/मुरादाबाद/वाराणसी/फैजाबाद/आगरा/गाजियाबाद/गोरखपुर/लखनऊ।

विषय- वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुरक्षण एवं संचालन मद में पाइप पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु धनराशि के धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र सं.-121/2042-0023(शा०)/16 दिनांक 21.03.16 द्वारा अनुरक्षण एवं संचालन मद में पाइप पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु प्रेषित मांग के सापेक्ष राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र सं० 1255/डब्लू-409/2016 दिनांक 31.03.2016 द्वारा अनुरक्षण एवं संचालन मद में पाइप पेयजल योजनाओं हेतु राज्यांश रू० 200.514 लाख की धनराशि उ० प्र० जल निगम को अवमुक्त की गयी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुरक्षण एवं संचालन मद में पाइप पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु कुल रू० 200.514 लाख की धनराशि प्रधान कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं.-303/2313-0001/बजट/2016-17 दिनांक 02.05.16 द्वारा क्षेत्रों को अवमुक्त कर दी गई है। अवमुक्त धनराशि में सेन्टेज सम्मिलित नहीं है। कृपया संबंधित जनपदों को संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि तत्काल अवमुक्त करने का कष्ट करें।

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	कुल प्रस्तावित धनराशि (रू० लाख में)
1	आगरा	24.815
2	इलाहाबाद	52.651
3	गाजियाबाद	11.467
4	गोरखपुर	13.416
5	झांसी	9.839
6	कानपुर	8.072
7	लखनऊ	25.647
8	मुरादाबाद	6.397
9	वाराणसी	37.106
10	फैजाबाद	11.104
	योग	200.514

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(चित्र कुमार त्यागी)
मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)

प० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ० प्र० लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. मुख्य लेखाधिकारी, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ को उनके कार्यालय ज्ञाप सं.-216/2313-0001/बजट/2015-16 दिनांक 30.03.2016 के संदर्भ में।
4. अधीक्षण अभियन्ता(ग्रामीण-1)/अधिशासी अभियन्ता(ग्रामीण-1), उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता(ई०डी०पी०सेल), उ० प्र० जल निगम लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे जल निगम की वेब-साइट पर डलवाने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)

